भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2571
04 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति की स्थिति

2571. श्री शंकर लालवानीः
श्री अनन्त नायकः
श्रीमती कमलजीत सहरावतः
श्रीमती मालविका देवीः
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः
श्री सुनील कुमारः

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) अब तक सृजित स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग क्षमता और रीसाइकिल किए गए स्टील स्क्रैप की मात्रा का ब्यौरा क्या है तथा इसमें ओडिशा राज्य से संबंधित आंकड़े क्या हैं;
(ग) कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इस्पात निर्माण में संगठित स्क्रैप संग्रह, प्रसंस्करण और रीसाइकिल किए स्टील स्क्रैप के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा ओडिशा और विशेषकर क्योंझर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में शुरू की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;
(घ) स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग के लिए एक मजबूत कार्यतंत्र विकसित करने, संसाधन दक्षता में सुधार करने और ओडिशा में, विशेषकर क्योंझर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में रीसाइक्लिंग सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की क्या रणनीति है; और
(ङ) स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले बोकारो स्टील प्लांट और बर्नपुर स्टील प्लांट से पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पन्न स्टील स्क्रैप को किस प्रकार रीसाइकिल या नीलाम किया गया है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क), (ग) और (घ): देश में इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति और सरकार द्वारा उठाए गए कदम जिसमें संगठित स्क्रैप संग्रह, प्रसंस्करण और इस्पात निर्माण में पुनर्चक्रित इस्पात स्क्रैप के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है के साथ-साथ संसाधन दक्षता में सुधार और ओडिशा एवं क्योंझर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर में इस्पात क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना शामिल है, का विवरण निम्नानुसार हैं:

(i) इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति, 2019 विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न लौह स्क्रैप के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ एक समन्वय ढांचा प्रदान करती है।

(ii) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने पुराने, अनुपयुक्त और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के उद्देश्य से वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है, जिसमें प्रोत्साहन/हतोत्साहन की एक प्रणाली शामिल है। इस नीति के तहत, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन स्क्रैपिंग सुविधा

जारी....2/-

(आरवीएसएफ) के पंजीकरण और कार्यों के लिए नियम जारी किए हैं, जो पर्यावरण नियमों के तहत धातु और अन्य सामग्रियों की और पुनर्प्राप्ति के लिए प्रयोग-अवधि समाप्त वाहनों (ईएलवी) के प्रदूषण-मुक्त करने और उन्हें नष्ट करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और अवसंरचना से जुडी सुविधाएं प्रदान करता है। दिनांक 24.07.2026 तक की स्थिति के अनुसार 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 151 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं (आरवीएसएफ) प्रचालन में हैं।

(iii) भारत सरकार ने पर्यावरण के अनुकूल तरीके से खतरनाक और अन्य अपशिष्टों के सुरक्षित रख-रखाव, भंडारण, पुनर्चक्रण, उपयोग, उपचार और निपटान को सुनिश्चित करने के लिए 'खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 अधिसूचित किया है।

(iv) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग-अवधि समाप्त वाहन) नियम, 2025 लागू किया है, जो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल तरीके से प्रयोग-अवधि समाप्त वाहनों (ईएलवी) के प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) को अनिवार्य बनाता है, जिसके तहत वाहन निर्माताओं के लिए वाहन के प्रकार और प्राप्त सामग्रियों के आधार पर वार्षिक स्क्रैपिंग लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है।

(v) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 को पोत के सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल पुनर्चक्रण को विनियमित और बढ़ावा देने के उद्देश्यों के साथ अधिसूचित किया गया है।

(ख) वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, इस्पात के उत्पादन के लिए कुल 36 मिलियन टन लौह स्क्रैप का उपयोग किया गया था, जिसमें से लगभग 28 मिलियन टन स्क्रैप घरेलू स्तर पर उत्पादित किया गया था। ओडिशा सहित देश भर में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (आरवीएसएफ) का विवरण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के परिवहन पोर्टल पर नीचे दिए गए यूआरएल पर उपलब्ध है:

'https://vscrap.parivahan.gov.in/vehiclescrap/vahan/rvsfdetails.xhtml;

(ङ) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के तहत बोकारो इस्पात संयंत्र और बर्नपुर इस्पात संयंत्र से पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पन्न इस्पात स्क्रैप को जिस तरह से पुनर्चक्रित या नीलाम किया गया है, उसका विवरण निम्नानुसार है:

बोकारो इस्पात संयंत्र: बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पन्न इस्पात स्क्रैप को व्यवस्थित रूप से पुनर्प्राप्त, संसाधित और पूरी तरह से पुनर्चक्रित किया गया है और इसका इस्पात उत्पादन के लिए स्टील मेल्टिंग शॉप में उपयोग किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आंतरिक रूप से उत्पन्न किसी भी इस्पात स्क्रैप को नीलामी के माध्यम से नहीं बेचा गया है।

इस्को इस्पात संयंत्र, बर्नपुर: इस्को इस्पात संयंत्र में उत्पन्न इस्पात स्क्रैप को व्यवस्थित रूप से पुनर्प्राप्त, संसाधित और प्रबंधित किया जाता है। स्क्रैप को मुख्य रूप से स्टील मेल्टिंग शॉप के माध्यम से पुनर्चक्रित किया जाता है। संसाधन के इष्टतम उपयोग और उचित मूल्य प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए अधिशेष या अनुपयोग स्क्रैप का जहां भी आवश्यक हो, अंतर संयंत्र हस्तांतरण या पारदर्शी नीलामी प्रक्रियाओं के माध्यम से निपटान किया जाता है।

******